



भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, झाँसी सम्पदा विभाग

हाट तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु ठेके की निविदा सूचना

दिनांक 18.03.2015

निविदा सूचना संख्या : **TCX/TE/04 / 21 / 2015-16**

भेल झाँसी, छावनी परिषद, नगर पालिका, जिला पंचायत एवं अन्य सरकारी कार्यालय के पंजीकृत ठेकादारों को सूचित किया जाता है कि भेल आवास नगरी के हाट क्षेत्र में सप्ताह में तीन दिवस अर्थात् **मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार** को लगाने वाले हाटबाजार में भेल प्रबन्धन द्वारा निर्धारित दरों पर चबूतरा एवं भूमि पर बैठने वाले दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु द्वि वार्षिक आधार पर मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **06.04.2015** समय 3.00 बजे तक रु0 228/—(वैट सहित) भेल कोषागार में जमा कर रसीद प्रस्तुत करने पर अथवा डी.डी. जो भेल झाँसी के नाम देय हो, प्राप्त कर सकते हैं । निविदा प्रपत्र के साथ ई.एम.डी. राशि रु0 20000/—मूल्य की डी.डी. जो भेल झाँसी के नाम देय हो, जमा करना अनिवार्य है, जो ठेका एवार्ड होने पर कुल ठेका मूल्य में समायोजित कर लिया जाएगा तथा अन्य निविदाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा । पूर्ण रुप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक **07.04.2015** को दोपहर 13.00 बजे तक प्रशासनिक भवन के सुरक्षा कक्ष में रखी हुयी निविदा पेटिका में डाला जाना है, जो उसी दिन निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में, जो रहना चाहें, अपरान्ह **2.00 बजे** खोले जायेंगे । हाट में वसूली दर नियम व शर्तों के **बिन्दु सं0 12** के अनुसार होगी ।

1. ठेका की अवधि दो वर्ष होगी ।
2. ठेकेदार द्वारा तह बाजारी की निर्धारित दर से अधिक की वसूली की जानकारी प्राप्त होने पर भेल प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि वह ठेका निरस्त कर दे तथा इस दशा में जमा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी ।
3. समस्त प्रशासनिक प्रक्रिया पर नियंत्रण भेल प्रबन्धन का ही रहेगा ।
4. गैर पंजीकृत ठेकेदारों की निविदाएं निरस्त मानी जाएगी । अतएव पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
5. निविदा स्वीकृत करने या न करने का अधिकार भेल प्रबन्धन के पास पूर्णरूपेण सुरक्षित है ।

जारी करने वाले के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक

ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी
सम्पदा विभाग

—: निविदा प्रपत्र :—

TCX/TE / 04 / 21 / 2015-16 दिनांक 18.03.2015

त्रिदिवसीय हाट तहबजारी शुल्क वसूली ठेका

1. प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख **07.04.2015** तथा समय: अपरान्ह. 13.00 बजे तक ।
- 2 निविदा प्रपत्र प्रशासनिक भवन के सुरक्षा कक्ष में दिनांक **07.04.2015** को 2.00 बजे अपरान्ह खोले जायेंगे।
- 3 यह निविदा प्रपत्र श्री ठेकेदार को को दिनांक..... को जारी किया गया ।

जारी करने वाले के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक

ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी

सम्पदा विभाग

—: निविदा :—

TCX/TE / 04 / 21 /2015-16 दिनांक 18.03.2015

1. मैने भेल झाँसी हाट तहबजारी शुल्क वसूली ठेके के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रपत्र अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है :—
 (I) निविदा आमंत्रण सूचना ।
 (II) नियम एवं शर्तें ।
2. निविदा में शामिल होने के लिए ई.एम.डी. राशि रु0 20000 /—मूल्य का ड्राफ्ट सं.....संलग्न है ।
3. निविदा सूचना, प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ़ने और समझने के बाद **दो वर्ष** की अवधि के लिये एक मुश्त अपनी दर रु0..... धन राशि (शब्दों में) रु0 जो अमानत एवं जमानत राशि के अतिरिक्त होगी, जमा करने को तैयार हूँ ।

हस्ताक्षर ठेकेदार.....

नाम एवं पता.....

.....

मो0 न0:.....

दिनांक :.....

जारी करने वाले के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक

ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक



(4)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झाँसी
सम्पदा विभाग

भेल झाँसी हाट बाजार के तहबाजारी शुल्क बसूली ठेका हेतु नियम/शर्तें

- 1— ठेके की अवधि निविदा एवार्ड होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये होगी ।
- 2— निविदा में दर्शाई गई सम्पूर्ण धनराशि ठेका कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ही भेल कोषागार में डी.डी. तथा जो भेल झाँसी के पक्ष में देय हो जमा करनी होगी । ऐसा न करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
- 3— जिस व्यक्ति के नाम की निविदा स्वीकृत होगी उसे दर्शाई गई पूर्ण धनराशि को एक किस्त में जमा करनी होगी
- 4— ठेकेदार भेल प्रबन्धन की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये बिना ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा । यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं सम्पूर्ण बकाया जमा धनराशि जमानत राशि सहित जब्त भी की जा सकती है ।
- 5— यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली की गई और सम्बन्धित निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान शिकायत सत्य पाई गई तो भेल प्रबन्धन द्वारा तत्काल ही ठेका निरस्त किया जा सकता है एवं ठेकेदार को किसी भी तरह की धन राशि वापस नहीं की जायेगी ।
- 6— ठेकेदार द्वारा विभागीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अस्थाई/स्थायी निर्माण नहीं किया जायेगा ।
- 7— यदि भविष्य में साईकिल/अन्य सभी प्रकार के वाहन स्टेन्ड का ठेका होगा तो उसकी शुल्क वसूली हेतु अलग से निविदा सूचना प्रकाशित की जायेगी ।
- 8— ठेका का इकरारनामा रु0 100/-के नान जुडीशियल स्टाम पेपर पर लिखकर देना होगा तथा इसके निष्पादन सम्बन्धी समस्त व्यय ठेकेदार को ही वहन करने होंगे ।
- 9— ठेके की अवधि के दौरान किसी भी व्यवस्था के बन्द होने या ठेकेदार को होने वाली किसी भी हानि के लिये भेल प्रबन्धन जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 10— ठेका की अवधि में विभाग तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मध्यस्थ (आरबीट्रेटर) की नियुक्ति महाप्रबन्धक भेल झाँसी द्वारा की जायेगी जिसका निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- 11— आयकर या अन्य करों की अदायगी के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 12— शुल्क की वसूली की दर निम्न प्रकार होगी :—

1—चबूतरा	}	12/- रु0 प्रति हाट
2—जमीन (5 फुट X 5 फुट क्षेत्र)	}	12/- रु0 प्रति हाट
3—हाथ ठेला	}	15/- रु0 प्रति हाट
- 13— हाट के द्वि वार्षिक ठेका से अनुमानित आय रु0 8 लाख 5 हजार से अधिक का आंकलन किया गया है ।

जारी करने वाले के हस्ताक्षर,
मुहर एवं दिनांक

ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,
मुहर एवं दिनांक

(5)

- 14—ठेकेदार को प्रत्येक दुकानदार से तहबजारी शुल्क वसूली हेतु कम संख्या 12 के अनुसार कूपन छपवाने होंगे । कूपन का प्रारूप विभाग द्वारा दिया जायेगा । तदनुसार कूपन छपवाकर क्रमानुसार उपयोग करने होंगे एवं माह के अन्त में उपयोग की गई रसीदों/कूपन का विवरण सम्पदा विभाग को देना अनिवार्य है ।
- 15—ठेका अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाये जाने पर भेल प्रबन्धन द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकता है । ऐसे में किसी तरह की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
- 16—ठेकेदार को प्रत्येक हाट दिवस पर शेड के नीचे प्रकाश के लिये **शीतकीलीन** समय सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे एवं **ग्रीष्मकालीन** समय सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक 100 वाट के बल्ब अपने पास से लगाना होगा, तथा उनकी टूट फूट ब फ्यूज होने पर स्वयं बदलना होगा । बल्ब लगाना व निकालना ठेकेदार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
- 17—आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर यदि बल्ब कम पाये जाते हैं तो प्रति हाट 50/-रु0 जुर्माना होगा ।
- 18—निविदा स्वीकृत करने या न करने का अधिकार भेल प्रबन्धन के पास पूर्णरूपेण सुरक्षित है ।
- 19—लाइसेन्स प्राप्त रेहड़ी/हाथ ठेला से हाट तहवाजारी वसूल नहीं की जाएगी ।
- 20—फल विक्रेताओं, गन्ने का रस, चाट के ठेले व मच्छली व मीठ आदि विक्रेताओं को अपना-अपना कचरा नियत स्थान पर स्वयं फेंकना होगा यह सुनिश्चित कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी ।

जारी करने वाले के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक

ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर,

मुहर एवं दिनांक